

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 3164/2026
Mahesh S/o Somraj, Aged About 20 Years, R/o Kasvan Nagar
Indo Ki Dhani II Police Station Matora District Jodhpur Rajasthan
(Lodged In Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gajendra Kumar Rinwa, Adv. Ms. Mamta Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. G.A. Mr. Karan Parihar for Complainant

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

27/03/2 026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी द्वितीय जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना मतोड़ा, जिला फलोदी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 137(2), 65(1), 87 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि पीड़िता पीडब्ल्यू 01, उसका पिता पीडब्ल्यू 02 मोहनराम व उसकी माता पीडब्ल्यू 03 देवी ने अभियोजन के दौरान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं देते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.03.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। साथ ही विद्वान अभिभाषक

परिवादी ने प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी अनापत्ति प्रकट की है।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में पीड़िता पीडब्ल्यू 01 ने अपने बयान में कहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त महेश ने उसके साथ कोई जबरदस्ती और गलत काम नहीं किया है और न ही जबरदस्ती उसे लेकर गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं देती है। उसके पिता पीडब्ल्यू 02 व उसकी माता पीडब्ल्यू 03 ने भी प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.03.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **महेश पुत्र सोमराज** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J